झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

प्रथम अपील सं0–101 वर्ष 2019

सुरेन्द्र कुमार यादव .... अपीलार्थी

बनाम्

बबिता कुमारी .... प्रतिवादी

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री अपरेश कुमार सिंह

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती अनुभा रावत चौधरी

अपीलार्थी के लिए :– श्री अरूण कुमार, अधिवक्ता

प्रतिवादी के लिए:– डॉ0 ज्ञानेन्द्र कुमार, अधिवक्ता

09/21.07.2020 श्री अरूण कुमार, अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता और डॉ0 ज्ञानेन्द्र कुमार, प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मौजूद हैं।

20 जुलाई, 2020 के पिछले आदेश का संदर्भ दिया जा सकता है, जो निम्नानुसार है:

''उनके साथ बातचीत से यह प्रतीत होता है कि वे 2.5 लाख रू0 के स्थायी गुजारा भत्ता के भुगतान के शर्त पर अलग होने के लिए एक सौहार्दपूर्ण समझौता पर पहुँचे हैं। वे एक सप्ताह के भीतर कुटुम्ब न्यायालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के समक्ष आपसी सहमति से तलाक के लिए एक आवेदन दाखिल करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विद्वान

सचिव, डी0एल0एस0ए0, जमशेदपुर द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण के अनुसार समझौता की शर्तों को संयुक्त रूप से लिखित में लाया गया है। समझौता की शर्तें जो संयुक्त रूप से उनके हस्ताक्षर के तहत लिखित रूप में लाई गई हैं, को आज ही ई–मेल के माध्यम से सचिव, डी0एल0एस0ए0, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर द्वारा इस न्यायालय को सूचित किया जाए।

मामला को कल (21.07.2020) सूचिबद्ध किया जाए।''

ई–मेल जिसमें समझौता के नियम और शर्तें हैं, को कार्यालय द्वारा कल ही प्राप्त किया गया और उसे अभिलेख पर रखा गया।

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वर्तमान अपील को समझौते के संदर्भ में निपटाया जाए क्योंकि पक्षकारों ने कुल 2.50 लाख रूपया के स्थायी गुजारा भत्ता के भुगतान के शर्त पर आपसी सहमति से अलग होने के लिए विद्वान कुटुम्ब न्यायालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के समक्ष जाने के लिए सहमत हुए हैं। इस राशि में से 50,000/– रू0 पहले ही प्रतिवादी को कल भुगतान किया जा चुका है। इस अपील को लंबित रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा क्योंकि पार्टियाँ हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1–बी) के तहत आपसी सहमति से विवाह–विच्छेद के लिए विद्वान कुटुम्ब न्यायालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के समक्ष इस सप्ताह के भीतर जायेंगे।

हमने मध्यस्थता के दौरान पक्षों के बीच पहुंचे समझौते के आलोक में पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के निवेदनों पर विचार किया है, जहाँ सचिव के कार्यालय, डी0एल0एस0ए, जमशेदपुर से प्राप्त ई–मेल दिनांक 20 जुलाई, 2020 में नियम और शर्तें निहित हैं और रिकॉर्ड पर रखा गया है। संक्षेप में यहाँ बताया गया है कि दिनांक 3 दिसम्बर, 2018 के आक्षेपित निर्णय और दिनांक 12 दिसम्बर, 2018 की डिक्री द्वारा ऑरिजनल सूट सं0 288/15 की बर्खास्तगी से व्यथित था, जिसके द्वारा विवाह को शून्य घोषित करने के लिए हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 12 (1–बी) के तहत उसकी याचिका खारिज किया गया था। हालांकि, चूंकि पार्टियाँ मध्यस्थता के माध्यम से, इस अपील की पेंडेंसी के दौरान समझौते पर पहुंचे हैं और वे आपसी सहमति से तलाक लेने जा रहे हैं, इसलिए इस अपील को लंबित रखने में कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। समझौते की शर्तों के अनुसार, स्थायी गुजारा भत्ता की कुल सहमति राशि 2.50 लाख रूपये में से 50,000/– रू0 पहले ही प्रतिवादी को भुगतान किया जा चुका है और शेष राशि का भुगतान उस समय किया जाएगा जब आपसी सहमति से तलाक के लिए सूट में दूसरा प्रस्ताव दाखिल किया जाता है, जिसका अर्थ है कि विद्वान कुटुम्ब न्यायालय द्वारा आपसी सहमति से तलाक के लिए एक डिक्री से पहले पारित किया जाता है।

तद्नुसार, तत्काल याचिका को समझौते के संदर्भ में निपटाया जाता है। समझौते की शर्तें डिक्री का हिस्सा बनाई जाएं।

निर्णय और डिक्री को बिना किसी विलम्ब के विद्वान कुटुम्ब न्यायालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को सूचित किया जाए।

(अपरेश कुमार सिंह, न्याया0)

(अनुभा रावत चौधरी, न्याया0)